विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0021811

श्रीमती आशा जैरथ पत्नी श्री हरीश जैरथ,
अटल इण्डस्ट्रीज, वार्ड नं. 6,
रेल्वे स्टेशन रोड, वारासिवनी, — आवेदक
जिला – बालाघाट (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर),
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदकगण
वारासिवनी, जिला – बालाघाट (म.प्र.)

(आदेश दिनांक 23.01.2013)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 33/2009 श्रीमती आशा जैरथ विरूद्ध अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) वृत्त, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा अन्य दो में पारित आदेश दिनांक 31.03.2009 से व्यथित होकर यह अभ्यावेदन आवेदक उपभोक्ता ने प्रस्तुत किया है ।

2. आवेदक उपभोक्ता ने विद्युत शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि दिनांक 21.6.2008 को उसकी राईस मिल में लगे हुए विद्युत मीटर का निरीक्षण विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारी कार्यपालन यंत्री उड़नदस्ता क्रमांक – 4 तथा उनके सहयोगी सदस्य के द्वारा किया गया था तथा इस बात का पंचनामा बनाकर मीटर को पुनः सील किया गया था । दिनांक 21.6.2008 को किये गये स्थल रिपोर्ट से यह स्पष्ट था कि मीटर बाक्स या उससे संलग्न किसी उपकरण में किसी प्रकार की छेड़छाड़ तथा तकनीकी सुधार नहीं किया गया था । उक्त कार्यवाही के पश्चात् दिनांक 14.8.2008 को विद्युत वितरण कम्पनी के इन्हीं अधिकारियों के द्वारा पुनः मीटर की जांच कर स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई थी और मीटर को पुनः सील बंद किया गया था । उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार मीटर में आर फेस के पीछे सप्लाई मीटर के बाई फेस तथा बायफेस को आर फेस के टर्मिनल में कनेक्ट होना पाया गया था, जिसे सुधारा गया था । उक्त निरीक्षण के फलस्वरूप विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दिनांक 30.12.2008 को उसे नियमित के बिल के अतिरिक्त 159730/– रू. अदा किये जाने का नोटिस जारी किया गया था, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि दिनांक 21.6.2008 को जब मीटर का निरीक्षण किया गया था, उस समय मीटर में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी । 14.8.2008 को निरीक्षण किये जाने पर जो अनियमितता पाई गई थी उसके लिये आवेदक उपभोक्ता को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है । अतः जो भी त्रुटि हुई थी वह विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मचारियों की असावधानीपूर्वक की गई कार्यवाही से हुई थी । उक्त असावधानी के परिणामस्वरूप यदि मीटर में विद्युत ऊर्जा की खपत की सही संगणना नहीं की थी तो आवेदक उपभोक्ता को उसके लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, परन्तु यदि उत्तरदायित्व का निर्धारण करना है तो यह अवधि 21.6.2008 से प्रारम्भ होनी चाहिये, जबकि उसे जो राशि अदा करने के लिये कहा गया है वह 21.6.2008 से न होकर इसके पहले का है । अतः विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उससे जो राशि जमा कराई गई है उसे वापस दिलाया जाए तथा उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए ।

3. आवेदक उपभोक्ता की उक्त शिकायत का प्रतिवाद विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मचारी अनावेदक गण की ओर से इस आधार पर किया गया है कि आवेदक उपभोक्ता द्वारा दिनांक 21.11.2005 को 100 एच.पी. औद्योगिक पावर कनेक्शन राईस मिल के लिए लिया गया था । दिनांक 24.8.2008 को निरीक्षण किये जाने पर मीटर में आर फेस केपीटी बाई फेस के टर्मिनल से तथा बाई फेस की पीटी आर फेस के टर्मिनल से कनेक्ट पाई गई थी । इस गलत संयोजन से मीटर में दर्ज होने वाली खपत वास्तविक खपत का 1/3 भाग कम दर्ज हुआ था । मीटर डाटा का विश्लेषण करने पर दिनांक 12.12.2007 से उक्त संयोजन गलत पाया गया और 25 एच.पी. का लोड होने से तथा पावर फेक्टर .86 से ऊपर होने से 32 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अन्तर पाया गया । अतः जनवरी 2008 से अगस्त 2008 तक 1/3 भाग कम प्रतिशत की राशि का देयक रू. 159730/– का जारी किया गया है, जिसे 8 किस्तों में आवेदक द्वारा जमा किया जा चुका है । वस्तुतः दिनांक 21.6.2008 को निरीक्षण के दौरान जांच दल द्वारा मीटर की टर्मिनल सील तोड़कर सूक्ष्मता से जांच में कमी के कारण वास्तविक त्रुटियों का उस दिन ज्ञान नहीं हो पाया था । ज्ञान होने पर आवेदक उपभोक्ता द्वारा की गई वास्तविक खपत के आधार पर उसे बिल जारी किया गया है । आवेदक की शिकायत निराधार है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने यह पाया था कि मीटर के साथ उपभोक्ता द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है । गलत खपत की रिकार्डिंग कम्पनी के अधिकारियों द्वारा गलत कनेक्शन के कारण आई है । उपभोक्ता को दिया गया पुनरीक्षित बिल मीटर डायरी में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर दिया गया है । वह एमआरआई उपकरण द्वारा दर्ज खपत के अनुसार दिया गया है । दिनांक 12.12.2007 से निर्धारण की अवधि उचित है, क्योंकि उसी दिन गलत टर्मिनल लगाये गये थे । इसी दिन कार्यपालन यंत्री द्वारा टर्मिनल सील एवं मीटर की सील तोड़कर जांच की गई थी । अतः दिनांक 12.12.2007 से दिनांक 14.8.2008 के बीच की अवधि का आंकलन किया जाना न्यायोचित है । अतः दिसम्बर, 2007 से अगस्त 2007 तक का पुनरीक्षित बिल उपभोक्ता को भुगतान की गई राशि का समायोजन करने के पश्चात् दिया जाए ।

5. उपभोक्ता फोरम के उक्त आदेश से व्यथित होकर उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि दिनांक 11.12.2007 से मीटर में गलती पाये जाने का जो निष्कर्ष फोरम ने दिया है वह बिना किसी आधार के दिया गया है । इसके अतिरिक्त एमआरआई उपकरण द्वारा दर्ज खपत के संबंध में कोई प्रमाण अनावेदक की ओर से नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में फोरम का आदेश तर्कसंगत न होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

विचारणीय प्रश्न यह है कि – क्या अनावेदकगण द्वारा उपभोक्ता को जो पुनरीक्षित बिल जारी किया गया है वह तर्कसंगत न होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

6. उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करते समय इस तथ्य को सामने रखा जाना आवश्यक है कि विद्युत वितरण के लिए विद्युत लाईसेंसी अर्थात् अनावेदक कम्पनी को एकाधिकार प्राप्त है । आवेदक उपभोक्ता के समक्ष विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अनावेदक से निवेदन करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है । विद्युत वितरण के लिए उत्तरदायी कम्पनी द्वारा विद्युत की खपत का निर्धारण करने के लिए विद्युत मीटर लगाया जाता है जो संरक्षित उपकरण की परिधि में आता है । इस उपकरण में किसी तरह की छेड़छाड़ करना अपराध की श्रेणी में आता है और यदि उपभोक्ता द्वारा ऐसे उपकरण में किसी तरह की छेड़छाड़ की जाती है तो उसे विद्युत ऊर्जा का प्रदाय करने से विद्युत लाईसेंसी द्वारा मना किया

जा सकता है और क्षतिपूर्ति भी वसूल की जा सकती है । इस उपकरण की जांच समय–समय पर विद्युत लाईसेंसी के कर्मचारियों द्वारा ही की जाती है । इस मामलें में दिनांक 21.6.2008 को विद्युत लाईसेंसी के कर्मचारियों द्वारा विद्युत मीटर की जांच की गई थी और उसे सही पाया गया था । इसके पश्चात् दिनांक 14.8.08 को पुनः निरीक्षण किये जाने पर यह पाया गया था कि आर फेस को मीटर के बाई फेस में और बाई फेस को आर फेस में कनेक्ट किया गया है, जिसे सुधारा गया । परन्तु ऐसी गलती कब और किसके द्वारा की गई इसका उल्लेख दिनांक 14.8.2008 को बनाये गए पंचनामा में नहीं है । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष दिया है कि दिनांक 11.12.2007 को कार्यपालन यंत्री द्वारा टर्मिनल सील एवं मीटर सील तोड़कर जांच की गई थी एवं तदोपरांत आर फेस एवं बाई फेस एकदूसरे फेस में लगा दिये गये थे । दिनांक 11.12.2007 को कार्यपालन यंत्री द्वारा मीटर की सील तोड़कर जांच करने पर ऐसी गलती की गई थी यह निष्कर्ष देने का कोई निश्चित आधार फोरम के आदेश का अवलोकन करने से नहीं पाया जाता है । यदि ऐसी गलती दिनांक 11.12.2007 को कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जाना पाया गया था तो इस तथ्य की जांच पृथक से उपभोक्ता की जानकारी में किया जाना आवश्यक था और ऐसी जांच किये जाने पर यदि कार्यपालन यंत्री को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया जाता तब मीटर में कम खपत दर्ज होने के लिए उपभोक्ता को उत्तरदायी ठहराया जाता, परन्तु उक्त प्रक्रियां का अनुसरण किये बिना उपभोक्ता पर उत्तरदायित्व का अधिरोपण जिस तरह से किया गया है वह उचित नहीं है । क्योंकि दिनांक 14.8.2008 को निरीक्षण किये जाने पर मीटर में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं पाई गई थी ।

7. फोरम ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष भी दिया है कि उपभोक्ता को जो पुनरीक्षित बिल दिया गया है वह एमआरआई खपत के अनुसार दिया गया है और ऐसा बिल मीटर डायरी में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार दिया गया है, परन्तु, वह मीटर डायरी जिसमें ऐसी प्रविष्टियां हैं कौन सी है तथा एमआरआई खपत से संबंधित कौन–सा दस्तावेज है, उसे फोरम द्वारा अपने आदेश में चिन्हित नहीं किया गया है और उसकी विवेचना भी नहीं की गई है ।

8. मामले के आदेश पत्र दिनांक 3.11.12 के अनुसार अनावेदक को एमआरआई रिपोर्ट तथा आवेदक को ऐसी रिपोर्ट से अवगत कराने से संबंधित रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था । सुनवाई दिनांक 18.12.2012 को अनावेदक गण की ओर से ऐसी रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी । मामला दिनांक 23.1.13 को आदेश के लिए नियत होने के पश्चात् अन्तरिम दिनांक 21.1.13 को सहायक यंत्री श्री मनोज कुमार भाईजी के द्वारा अधीक्षण यंत्री के पत्र क्रमांक 10154 के साथ 8 पृष्ठ की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो कन्ज्यूमर पासबुक की प्रति है । वस्तुतः यह रिपोर्ट एमआरआई रिपोर्ट नहीं है ।

9. दिनांक 14.8.2008 को अनावेदक कम्पनी के अधिकारियों के द्वारा जो पंचनामा बनाया गया था उस पंचनामा की कण्डिका 16 में यह लेख है कि सुधार कार्य के बाद एमआरआई ली गई थी, परन्तु ऐसी एमआरआई रिपोर्ट तथा उस रिपोर्ट से उपभोक्ता को अवगत कराने का कोई प्रमाण अनावेदक गण की ओर से फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था । अतः फोरम द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष कि आवेदक को जो पुनरीक्षित बिल दिया गया है वह एमआरआई उपकरण द्वारा दर्ज खपत के अनुसार है उचित तथा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

10. उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि दिनांक 14.8.2008 को आवेदक उपभोक्ता के मीटर के निरीक्षण के बाद मीटर में अनियमितता पाये जाने के आधार पर अनावेदक गण द्वारा उपभोक्ता को रू. 159730/– की वसूली का जो पुनरीक्षित बिल जारी किया गया था वह केवल अनुमान पर आधारित था

ऐसा बिल जारी करने का कोई तर्कसंगत आधार अनावेदकगण के पास नहीं था । फोरम द्वारा इन तथ्यों पर विचार किये बिना उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किया गया था । अतः आवेदक उपभोक्ता का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के प्रश्नगत आदेश को अपास्त किया जाता है । उपभोक्ता की शिकायत को न्यायोचित पाये जाने पर दिनांक 14.8.2008 के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक उपभोक्ता को विद्युत बिल के रूप में रू. 159730/– की वसूली के लिए जो पुनरीक्षित बिल जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाता है । इस मद में उपभोक्ता द्वारा जो राशि जमा की गई है वह राशि उसे वापस की जाए अथवा उक्त राशि का समायोजन उपभोक्ता को जारी किये जाने वाले बिलों में छः माह के अन्दर किया जावे ।

11. आवेदक उपभोक्ता द्वारा पुनरीक्षित बिल की राशि यद्यपि जमा की गई है, परन्तु अनावेदकगण द्वारा किसी तरह से उपभोक्ता को परेशान किया जाना परिलक्षित नहीं होता । अतः उसे शारीरिक या मानसिक क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल